



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22052026-272805
CG-MH-E-22052026-272805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2511]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 2511]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISHTHA 1, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 19 मई, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 2603(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीख 02 दिसंबर, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 5541 (अ) तारीख 25 नवंबर, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "निलजे और कोपर के बीच दोहरी कॉर्ड लाइन" रेलवे परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 'ए' की उप धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "वृत्तमानस (मराठी)" में और "हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)" में तारीख 12/02/2026 को प्रकाशित किया गया था।

और, उक्त गांवों में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में तालुका ठाणे के अंतर्गत 1 गांव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी ठाणे, जिला ठाणे के अधीन विशेष रेल परियोजना "निलजे और कोपर के बीच दोहरी कॉर्ड लाइन" रेलवे परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

गांव का नाम:- बेतवडे

अ.क्र.	तालुका	गांव का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	7/12 अनुसार क्षेत्र (हे.आर.)	अर्जित की जाने वाला क्षेत्रफल (हे.आर.)
1.	ठाणे	बेतवडे	77	होरायझन प्रोजेक्ट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर एस एस रुणवाल	8.1000	0.3368
2.			39	होरायझन प्रोजेक्ट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर एस एस रुणवाल	0.2250	0.0636
3.			37	जसा लुबाजी कं.चे. भागीदार रुपचंद हजारीमल	0.2830	0.0186
4.			35	होरायझन प्रोजेक्ट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर एस एस रुणवाल	0.0380	0.0130
				कुल	8.6460 (हे.आर.)	0.4320 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/Nilje-Kopar/Betawade Vlg/Thane Tq/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 19th May, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2603(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S. O. 5541 (A) dated the 25th November, 2025 is published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 02nd December, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Double chord line between Nilje & Kopar”** Railway project in the **district of Thane** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely **“Vrutmanas (Marathi)”** and **“Hindustan Times (English)”** dated 12th February, 2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, in Village Betawade in Thane Taluka no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely **“Double chord line between Nilje & Kopar”** Railway project 1 Village in Thane Taluka under Competent Authority for Land Acquisition and Sub-Divisional Officer Thane, District Thane in the State of Maharashtra.

NAME OF VILLAGE:- Betawade

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey No.	Land Holder's Name as per 7/12	Area as per 7/12 (Ha.)	Area of land to be acquired (Ha.)
1.	Thane	Betawade	77	Director S. S. Runwal on behalf of Horizon Project Pvt. Ltd.	8.1000	0.3368
2.			39	Director S. S. Runwal on behalf of Horizon Project Pvt. Ltd.	0.2250	0.0636
3.			37	Rupchand Hajarimal, Partner of Jasa Lumbaji & Co.	0.2830	0.0186
4.			35	Director S. S. Runwal on behalf of Horizon Project Pvt. Ltd.	0.0380	0.0130
				Total	8.6460 (Ha.)	0.4320 (Ha.)

[F. No. G197/Nilje-Kopar/Betawade Vlg/Thane Tq/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)